

आयोग Commission.

संवैधानिक निकाय



महान्यापवादी, CAG.

{ वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग

{ निर्वाचन आयोग

SC आयोग, ST आयोग

OBC आयोग - भी है

नैसर्गिक संवैधानिक निकाय

संवैधानिक संस्था

योजना आयोग (NITI आयोग)

विकास परिषद्

IB, CBI, ED.

RAW.

केन्द्रिय सर्वकार आयोग

विधिक संस्था

मानवाधिकार आयोग

सूचना अधिकार आयोग.

संविधान लागू - 26 जन 1950

✓ गठन - 1 April 1951 अनुच्छेद 280

वित्त आयोग

अध्यक्ष - K.C. प्रियोगी

वर्तमान -

15वे - N.K. सिंह → 2025 में पूर्ण

16वे - अरविंद पनगडिया → 2025 से
आरम्भ

14वे - Y.V. रेड्डी - 2020

→ संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा
प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा

उसदरथी वित्त आयोग का गठन
किया जाएगा।

निष्क्रिय - राष्ट्रपति के द्वारा

कार्य - ① राज्यों मध्य धन का विभाजन करना।

② कमजोर राज्यों के लिए अनुदान सिफारिश करेगा।

③ मजबूत वित्तीय अवस्था के लिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये काम
करना।

भारत शासन अधिनियम-1935 के तहत

लोक सेवा आयोग

अनु-315

73वीं आयोग
भारत शासन अधिनियम-1919 के तहत

सदस्य अध्यक्ष सहित

UPSS

संघ लोक सेवा आयोग

संघ के लिए

निष्कर्ष/त्यागपत्र → राष्ट्रपति

Report → राष्ट्रपति

कार्यकाल → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु तक

फरसेहता → राष्ट्रपति

State-UPSC

राज्य लोक सेवा आयोग

राज्य के लिए

राज्यपाल

राज्यपाल

6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक

राष्ट्रपति

संयुक्त सेवा आयोग

दो या दो से अधिक

राज्यों के लिए

राष्ट्रपति

सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल

6 वर्ष या 62 वर्ष के आयु तक

राष्ट्रपति

- कार्य :- ① प्रतियोगी परिक्षाओं का आयोजन करना।
② कर्मचारियों पदोन्नति में सरकार की मदद करना।

अनुच्छेद 312 :- अखिल भारतीय सेवा :- ऐसी सेवा जो संघ और राज्य दोनों को प्रदान किया जाय।

अखिल भारतीय सेवा सृजन :- 2।3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद ने अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकेगा।
वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है। -

- ① IAS - भारतीय प्रशासनिक सेवा
- ② IPS → ' ' ' पुलिस सेवा
- ③ IFS → ' ' ' वन सेवा